

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन भाखा, साहेबगंज
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज 02 / 2017-18 / 391 / भू0अ0, दिनांक- 21.2.17

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-हाथीगढ़, थाना-तालझारी, थाना सं0-5, अंचल-तालझारी, जिला-साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (बन्दरगाह निर्माण) में सम्पर्क पथ परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-हाथीगढ़, थाना-तालझारी, थाना सं0-5, अंचल-तालझारी में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 4.755 एकड़ यानि ----- हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	164 165 167	रैयती	धानी-1 धानी-1 धानी-1	0.15 0.135 0.14	अधनु धांगड़ वो बुधु धांगड़ वल्द शुकरा धांगड़	मौजा-सदानाला नं0-01 का चहारदिवारी	मौजा-जमनी नं0-03 का चहारदिवारी	13, 14, 15p, 17p Road 172, 172, 315p Road 169p 168p 167p 165p 164p 140p 139p 135p 136p 132p 131p 130 129p 128 Road 102 105p and 106p	10, 9, 6p, 3p Road 23p 24, 26p 41p 42p 43p 72p 75p 76p 77p 79p 80p 88p 99p and 100p
2	4	23	रैयती	धानी-3	0.14	एतना धांगड़ वल्द लिटिया धांगड़ वो भगु धांगड़ वल्द मोटीया धांगड़				
3	6	88 129 106 130	रैयती	बाड़ी-1 बाड़ी-1 बाड़ी-1 धानी-3	0.075 0.36 0.01 0.005	बड़ा गुन्दरा धांगड़ वल्द वीरसा धांगड़				
4	9	310	रैयती	मकान सहन	0.03	गंगा तुरी वल्द झुमक तुरी				
5	11	75 76 79 87 139 140	रैयती	बाड़ी-2 बाड़ी-1 मकान बाड़ी-1 बाड़ी-1 धानी-3	0.07 0.08 0.04 0.14 0.19 0.16	भोगड़े धांगड़ प्रधान वल्द वहरू धांगड़				
6	12	132	रैयती	मकान	0.015	छेदी नापित वल्द जवाहिर नापित				
7	14	128	रैयती	बाड़ी-1	0.315	मु0जेठली दोखतर मतलु धांगड़				
8	18	25 26 41 168	रैयती	धानी-2 धानी-1 धानी-2 धानी-1	0.12 0.335 0.045 0.275	झरी नापित वल्द गिरधारी नापित				
9	20	72 77	रैयती	बाड़ी-1 बाड़ी-1	0.09 0.025	दौलत धांगड़ वल्द भेलना धांगड़				
10	26	169	रैयती	धानी-2	0.235	बड़ा बुधु धांगड़ वल्द दशरथ धांगड़				
11	29	131 135	रैयती	बाड़ी-1 मकान	0.155 0.04	वौधा तुरी वो गंगाराम तुरी वल्द झुमक तुरी				
12	32	43	रैयती	बाड़ी-1	0.065	मआराम धांगड़ वो लालू धांगड़ वल्द शिवदयाल धांगड़				
13	34	12 16 42	रैयती	बाड़ी-1 मकान बाड़ी-1	0.45 0.05 0.035	मंगना मुसहर पौषपुत्र मो0 झींगली				
14	38	6	रैयती	मकान	0.04	मो0 सकली दोखतर मो0 विशिया				

		7		मकान	0.02				
15	39	99 102	रैयती	बाड़ी-1 बाड़ी-1	0.14 0.31	मो0 शन्नीचरिया जौजे चुल्हाण धांगड सा0-देह वो मो0 फलिया जौजे वीरसा धांगड सा0-कालाझोर वो मो0 दुर्गी जौजे चामू धांगड सा0-बड़ा तौफिर			
16	41	315	रैयती	बाड़ी-1	0.07	सुकरा मुसहर वल्द मोनू मुसहर			
17	42/4	8 11	रैयती	मकान बाड़ी-1	0.02 0.03	जगू मंडल वो राम मंडल वल्द एतवारी मंडल			
18	42/6	15	रैयती	मकान	0.005	भदु मुसहर वो मंगर मुसहर पेशरान महादेव मुसहर वो तिलक मुसहर माझी मुसहर			
19	42/11	80	रैयती	मकान	0.035	रामचन्द्र कमर वल्द सोनाराम कमर			
20	49	105	रैयती	मकान	0.005	चंदूराम वल्द मोतू राम			
21	53	134	रैयती	मकान	0.03	दुर्गा नापीत वो महावरी नापीत वल्द लोचन नापीत			
22	58	3 4	रैयती	मकान बाड़ी-1	0.005 0.06	लोटन सिंह वल्द सुखलाल सिंह			
23	42/12	17	रैयती	मकान	0.01	सेमरा वल्द मानू मुसहर			
कुल रकवा-					4.755				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।


अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

६०—
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 391 / भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 21.7.17

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।